उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-41/2022/एस-2-।/238595/दस-2022-159/2022
लखनऊ :: दिनाँक: 23 नवम्बर, 2022

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-'क' के अधिकारी श्री मदन राजा मौर्य, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, उ0प्र0 लखनऊ को उनके अपने कार्य के साथ-साथ मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, महिला कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी अतिरिक्त वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

2- श्री मौर्य को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संजीव सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या-41/2022/एस-2-।/238595(1)/दस-2022, तददिनाँक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला कल्याण/समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।
2- निदेशक, महिला कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0, प्रयागराज।
6- संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक कोषागार।
7- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अजय प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।